

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
कमांक/भू.अ./2025/439

दिनांक 08/04/25

प्रार्थी :-

- 1.जिमाल 2. इब्राहिम 3. इस्माइल पि. अमीर
4. रिडमल पुत्र कासम 5. उमर पुत्र उसमान
6. हिस्साम पुत्र उसमान जाति सिंधी मुसलमान
निवासी भारियों की बस्ती (गोलियार)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

- 1.धाई पत्नि अहमद खान 2. अहमद खान पुत्र मेहराब खान
जाति सिंधी मुसलमान निवासी गोलियार 3. रमेश पुत्र
मगाराम 4. गुड्डी पत्नि मगाराम 5. कृष्णकुमार पुत्र भूराराम
6. दलीदेवी पत्नि भूराराम 7. अमराराम 8. लक्ष्मणराम पि.
पोकराराम 9. जेतीदेवी पत्नि पोकराराम 10. सोनाराम पुत्र
वीरमाराम जाति जाट नि.भारियों की बस्ती (गोलियार), 11.
करनाराम पुत्र सुखाराम 12. परमेन्द्र 13. सचिन 14. हर्षराज
पि. हुकमाराम 15. रम्भादेवी पत्नि हुकमाराम जाति जाट नि.
तारातरा मठ तहसील चौहटन 16 तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 274/2024

दिनांक 08.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा भारियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 203/167 रकबा 6.5316 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

कमांक/भू.अ./2025/440 to 43
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी जिमाल पुत्र अमीर।
3. विप्रार्थी धाई पत्नि अहमद खान व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक

08/04/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन